10000 रु. Rs.10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

विक्रय पत्र मु0 675000/- रुपये।

स्टाम्प शुल्क हेतु मालियत 675000/- रुपये।

विक्रीत भूमि का क्षेत्रफल 712वर्गफुट यानी 66.17वर्गमीटर।

सर्किल दरसर्किल रेट के पृष्ठ 8 वार्ड न0 7 के ब्लॉक 1 के अनुसार 8000/- रुपये प्रति वर्गमीटर से मालियत 530000/-रु0 कवर्ड एरिया 25.85वर्गमीटर कवर्ड दर 4500/-रु प्रति वर्गमीटर से ह्रास मूल्य काटकर 1647/-रु0 प्रतिवर्ग मीटर से मालियत 43000/-रु0 सम्पत्ति लगभग 100 वर्ष पुरानी बनी है। निर्माण श्रेणी 2 का है। आवास एवं विकास शुल्क के अन्तर्गत है। स्टाम्प शुल्क 67500/- रुपये। स्थित निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार परगना ज्वालापुर

6-DEC-2005

[illegible]

[illegible]

[illegible]

০৬/০৭/০৫ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारत INDIA

10000 रु. Rs.10000

उत्तरांचल UTTARANCHAL

023319

तहसील व जिला हरिद्वार अन्दर सीमा नगर पालिका समिति हरिद्वार है। मुख्य सड़क से लगभग 150मीटर की दूरी पर है।

मैं कि उषा गुप्ता पुत्री स्व0 श्री बनारसीदास निवासीगण 20,ए,पी. सेन रोड लखनऊ की हूँ।

विदित हो कि मैं विक्रेता निम्नलिखित सम्पत्ति की स्वत्वाधिकारी व अधिकारी हूँ। निम्न लिखित सम्पत्ति आज तक हर प्रकार के हस्तान्तरण परिवर्तन आदि के भार से शुद्ध एवं मुक्त है कहीं पर आड रहन या बन्धक नहीं है। और न ही निम्न लिखितसम्पत्ति को बन्धक करके कोई ऋण आदि किसी महकमे बैंक कम्पनी सोसायटी आदि से लिया हुआ है। मैं विक्रेता निम्न लिखित सम्पत्ति के विक्रय करने में पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। अब अपनी स्वस्थ इन्द्रियों तथा स्थिर बुद्धि की अवस्था में

Usha Gupta

[illegible]

Nisha Gupta [illegible] [illegible]

[illegible]

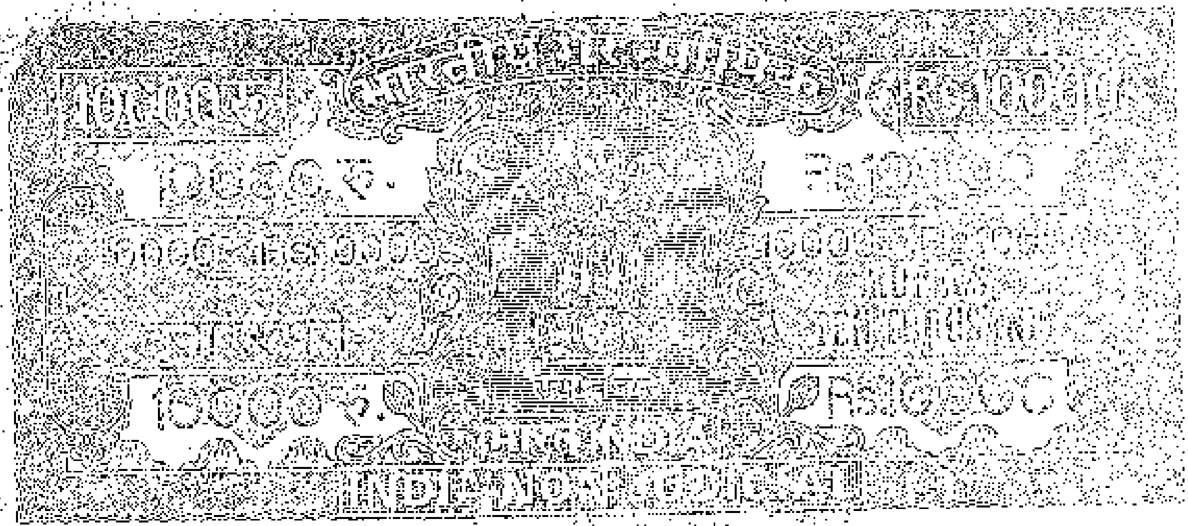

उत्तरांचल UTTARANCHAL 826916

अपनी इच्छा व प्रसन्नता से मय हर प्रकार के स्वत्व व अधिकारो के बदले मु0 675000/- रु0 छः लाख पिचहत्तर हजार रुपये में मैसर्स प्रयाग हेरीटेज प्रोजेक्ट प्रा0 लि0 रजिस्टर्ड ऑफिस 6 शाहनजफ रोड लखनऊ द्वारा डायरेक्टर श्री सिद्धार्थ प्रसाद पुत्र स्व0 श्री गोविन्द प्रसाद निवासी 6—शाहनजफ रोड लखनऊ के हक में विक्रय व हस्तान्तरित कर दी है और कुल मूल्यराशि निम्न प्रकार प्राप्त कर ली है तत्पश्चात इसके कुल मूल्य राशि क्रेता के जिम्मे शेष नही रहा है और न ही भविष्य मे होगी। कब्जा व दखल क्रेता महोदय का कानूनी व वाकई मौके पर निम्न लिखितसम्पत्ति पर करा दिया है और अपना कब्जा हर प्रकार से हटा दिया है। अब प्रतिज्ञा वचन देते है और प्रतिज्ञा करते है। कि क्रेता महोदय निम्नलिखित सम्पत्ति पर अपना

Usha Gupta

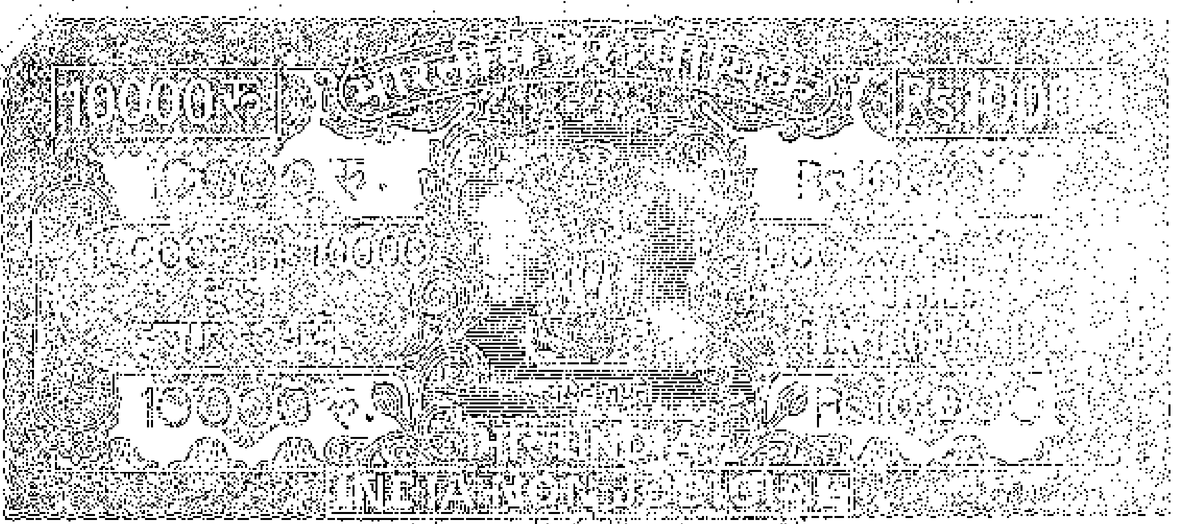

उत्तरांचल UTTARANCHAL

-4-

समस्त अधिकार स्वामित्व सहित उसके लाभ हर प्रकार से प्राप्त करे, हर प्रकार से अपना भोग व प्रयोग में लाये और जो चाहे सो करे, अब प्रतिज्ञगण तथा उसके उत्तराधिकारियों को विक्रय की हुई निम्नलिखित सम्पत्ति तथा उसकी मूल्य राशि से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का शेष नहीं रहा और ना ही भविष्य में होगा। यदि बाद में किसी नुक्स कानूनी के कारण या किसी के वाद विवाद करने पर उक्त सम्पत्ति कुल या उसका कोई अंश कब्जा या दखल क्रेता सक्त से निकल जाये तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपनी कुल या उसका कोई अंश मूल्य राशि मुझ प्रतिज्ञ से या मेरी जात खास या जायदाद से मय ब्याज व हर्जे खर्चे सहित वसूल कर लेवे। इसमें हम विक्रेतागण या हमारे वारसान को कोई उजर नहीं होगा। निज विक्रेता उन जुमला कानूनी

Usha Gupta -

जिम्मेदारीयों का जो कि रूसहये कानून इस मिल्कियत पर आयद होती है का पूरा पूरा पाबन्द व जिम्मेदार होगा व रहेगा।

उल्लेखनीय है कि विषयगत सम्पत्ति प्रसिद्ध नाम [illegible] जिसका नक्शा नजरी संलग्न है निम्नलिखित सम्पत्ति के स्वामी स्व. श्री रायबहादुर लक्ष्मणदास थे जिनका उक्त सम्पत्ति में 6/16वां भाग था; जिनकी मृत्यु के पश्चात उनकी वसीयत दिनांकित 28-2-58 के अनुसार निम्नलिखित सम्पत्ति में जिला जज लखनऊ के आदेश दिनांकित 15-4-61 द्वारा उनके पुत्र श्री गुलशनराज व श्री [illegible] व श्री द्वारकादास व उनकी पत्नि श्री मति ईश्वर कौर को बराबर हिस्सा 3/32 प्राप्त हुआ। श्री मति ईश्वर कौर की मृत्यु के पश्चात उनके वसीयत नामा दिनांक 20 [illegible]-72 जिला जज लखनऊ के आदेश

INDIA

उत्तरांचल UTTARANCHAL

- 8 -

जिम्मेदारियों का जो कि रुये कानून [illegible] पर आयद होती है का पूरा पूरा पाबन्द व जिम्मेदार होगा व रहेगा।

उल्लेखनीय है कि विवादित सम्पत्ति प्रसिद्ध नाम लाहौर हाउस जिसका नक्शा नजरी संलग्न है निम्नलिखित सम्पत्ति के स्वामी स्व० श्री रायबहादुर लक्ष्मणदास थे जिनका उक्त सम्पत्ति में 6/16वां भाग था। जिनकी मृत्यु के पश्चात उनकी वसीयत दिनांकित 20–2–58 के अनुसार निम्नलिखित सम्पत्ति में जिला जज लखनऊ के आदेश दिनांकित 15–4–61 द्वारा उनके पुत्र श्री गुलशनराज व श्री कन्हैयालाल व श्री द्वारकादास व उनकी पत्नि श्री मति ईश्वर कौर को बराबर हिस्सा 3/32 प्राप्त हुई। श्री मति ईश्वर कौर की मृत्यु के पश्चात उनके वसीयत नामा दिनांक 20-[illegible]-72 जिला जज लखनऊ के आदेश

भारत INDIA NON JUDICIAL

10000 रु. Rs. 10000

उत्तरांचल UTTARANCHAL 026127

- 6 -

दिनांकित 28—10—78 के द्वारा निम्नलिखित सम्पत्ति आठ भागों में बराबर-बराबर विभाजित हुई। इसी प्रकार श्री बनारसीदास को एक शेयर 9/256वा भाग अतिरिक्त प्राप्त हुआ तथा उनका शेयर 27/256 हो गया श्री बनारसी दास की मृत्यु दिनांक 19—2—93ई0 को हो गयी तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पुत्री श्री उषा गुप्ता 9/256 की स्वामी व अधिकारी हुई। तदानुसार विक्रेता विषयगत सम्पत्ति के संयुक्त मालिक स्वामी काबिज व अधिकारी है। तथा तदानुसार विक्रेता को विषयगत सम्पत्ति के हस्तांतरण, विक्रय आदि की बाबत पूर्ण अधिकार प्राप्त है। कुल मूल्य राशि मु0 675000/—रु0 छः लाख पिचहत्तर हजार रूपये में विक्रेता द्वारा क्रेता से निम्नलिखित बैंक द्वारा प्राप्त कर लिये है। तथा विक्रेता द्वारा अपने हिस्से के प्रतिफल

Usha Gupta

धनराशि प्राप्त कर ली है। कब्जा सम्पत्ति मौके पर क्रेता को दे दिया है तथा क्रेता को विषयगत सम्पत्ति कि बाबत स्वामित्व के पूर्ण अधिकार एवं सुखाधिकार प्राप्त हो गये है। क्रेता एवं विक्रेता के मध्य उक्त सम्पत्ति की बाबत कोई रजिस्टर्ड इकरारनामा नही हुआ है। उक्त सम्पत्ति पर उत्तरांचल भू-अधिनियम 29/2003 प्रभावी नहीं है। उक्त सम्पत्ति धार्मिक संस्था व ट्रस्ट की नही है।विवरण स्टाम्प शुल्कराशि:- मुख्य विक्रेता ने कुल मुल्य राशि कुल0 975000/- रु0 पर

Usha Gupta

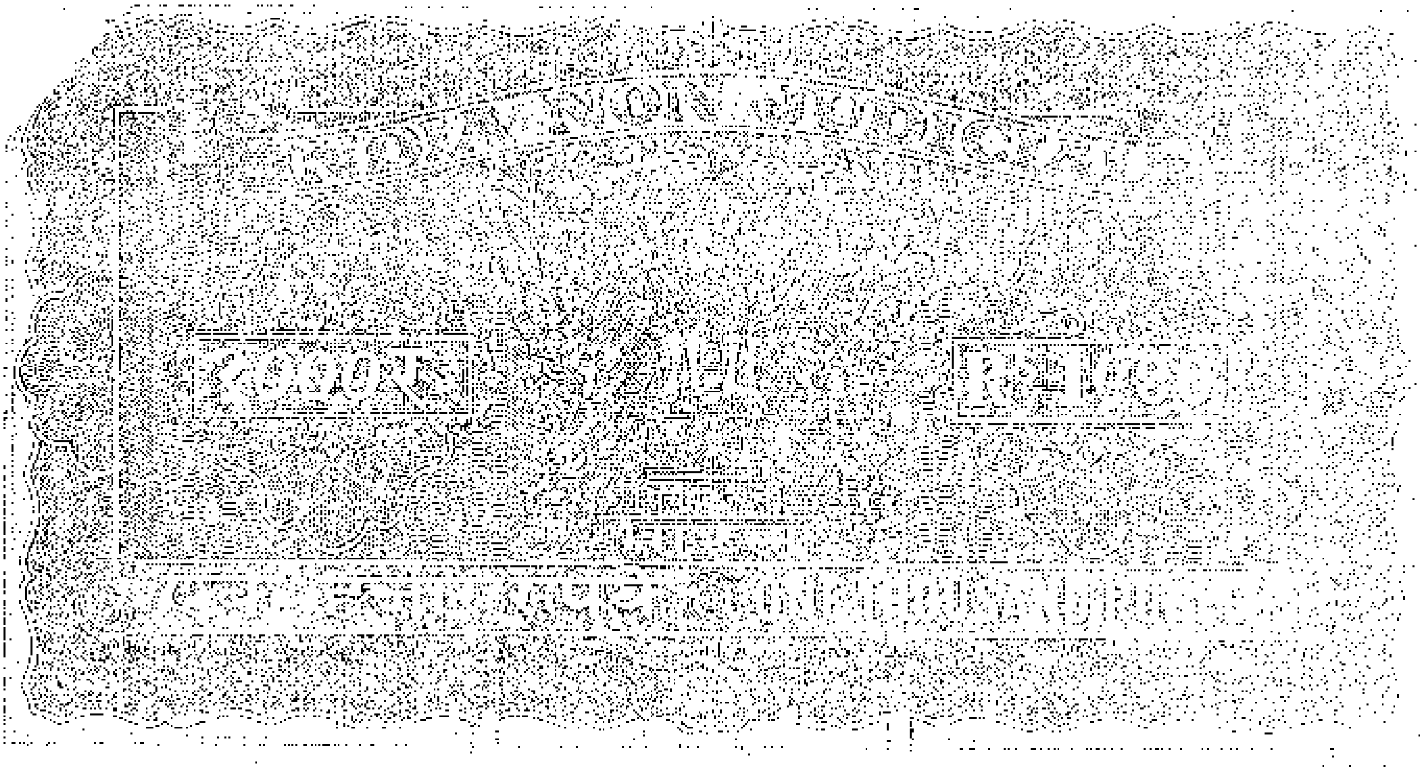

लाख पिचहत्तर हजार रूपये द्वारा चैक नं० 011760 दिनांकित 4–10–05 आई०सी०आई०सी०आई० बैंक हरिद्वार प्राप्त कर लिये है।

विवरण सम्पत्ति:–

एक किता सम्पत्ति प्रसिद्ध नाम आशीष भवन स्थित निरंजनी अखाड़ा

Usha Gupta

- ६ -

हरिद्वार जामनी ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार अन्दर सीमा नगर पालिका परिषद हरिद्वार है। जिसका नक्शा नजरी इस विलेख पत्र के साथ संलग्न है जिसका कुल क्षेत्रफल 2028.00 वर्गफुट का आधा हुआ

9/266वां भाग जिसका निर्मित क्षेत्रफल 712वर्गफुट यानी 66.
17वर्गमीटर है। तथा जिसका कुल कवर्ड एरिया 735.29 वर्गमीटर है
का 9/266वां भाग यानी 26.86वर्गमीटर है शेष खुला क्षेत्र है। ...

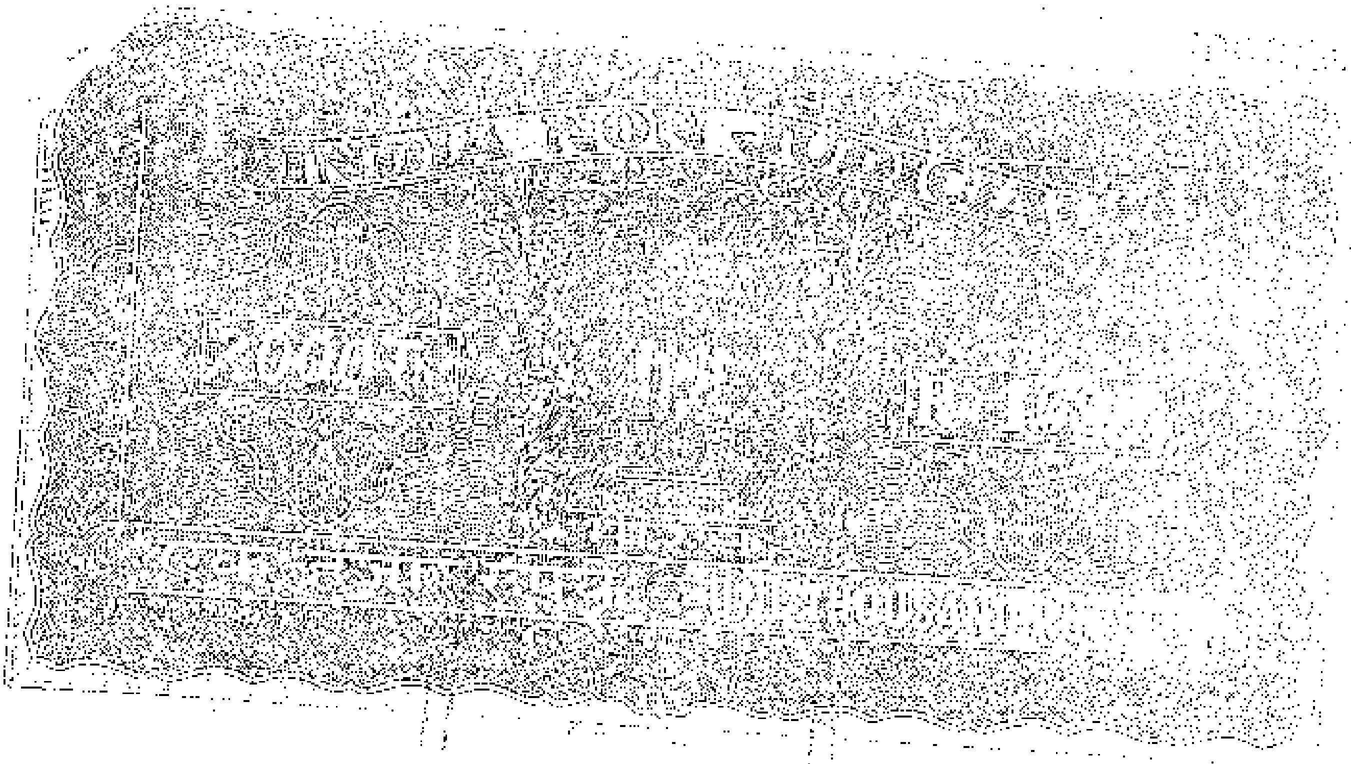

खुला फुलाले मय हकूक हर प्रकार सहित मय आराजी जमीन के व खाली भूमि जो सहन के रूप मे है व मय नीचे की भूमि व ऊपर की छत जो भी उपरोक्त सम्पत्ति के साथ है। जिसके पूरब मे आराजी

INDIA NON JUDICIAL

पश्चिम में रास्ता 20फुट उत्तर में गली बादहू धर्मशाला मेरठ दक्षिण में गली बादहू कोठी भवन है। जिसका नगर पालिका में नम्बर निर्धारण खाता सं0 38/1 है

Usha Gupta

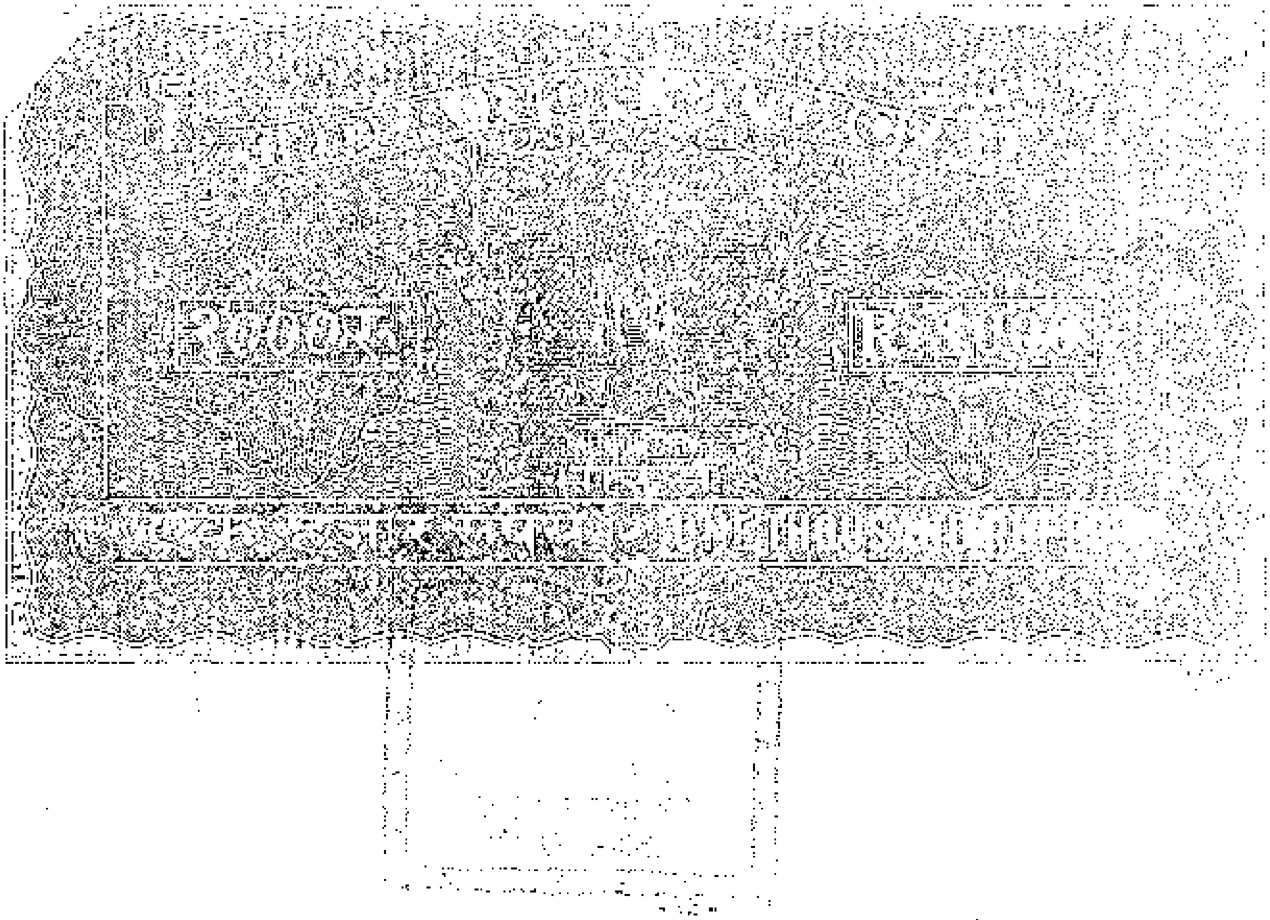

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

Usha Gupta

500 Rs.

Rs500

FIVE HUNDRED RUPEES

तहरीर तारीख :—9-10-2005

ह0 Usha Gupta

सा0 [illegible]

[illegible]

[illegible] 1425 [illegible] 705

[illegible] 1559 [illegible] 213/218 [illegible]

[illegible] 06/05/05

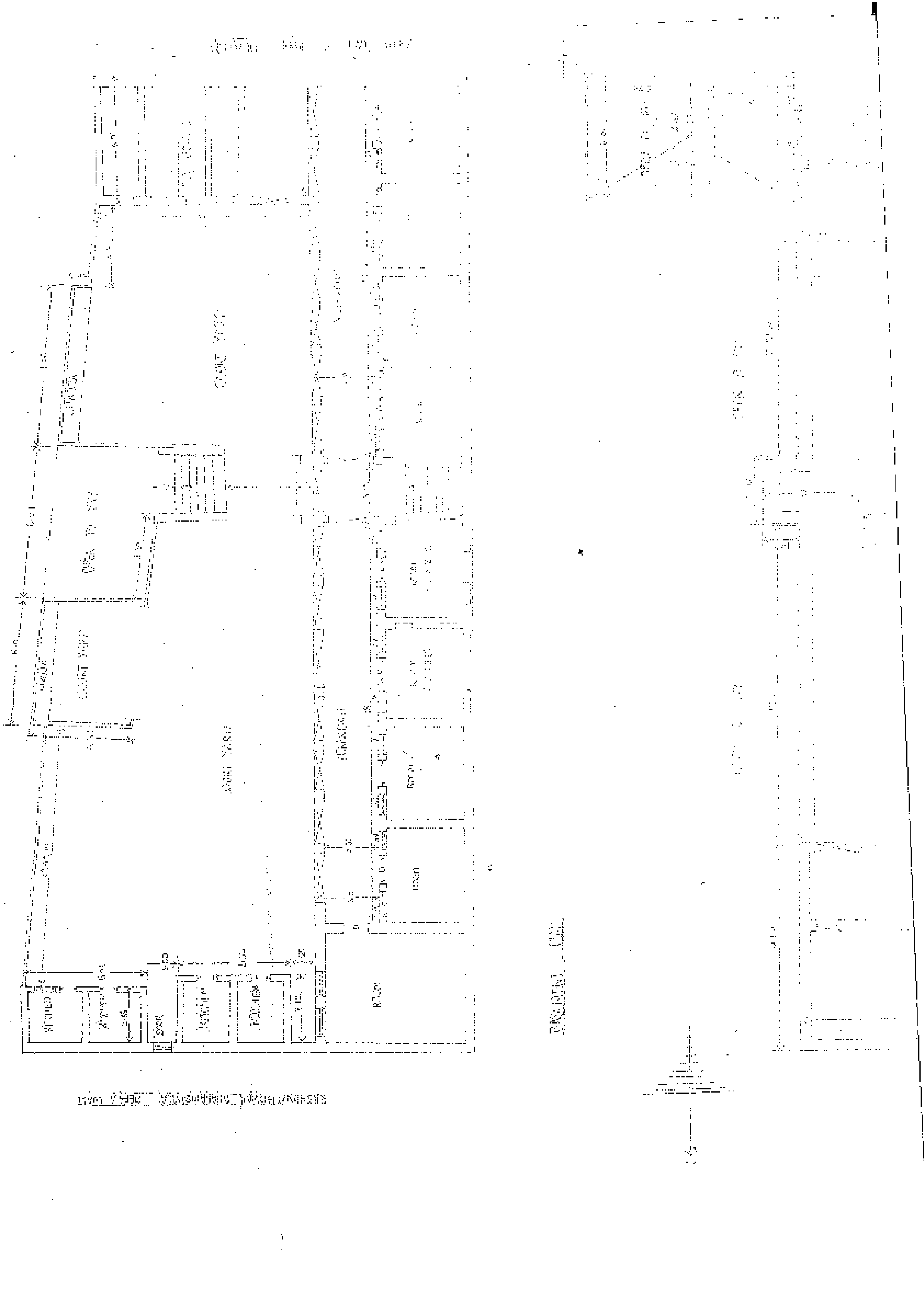

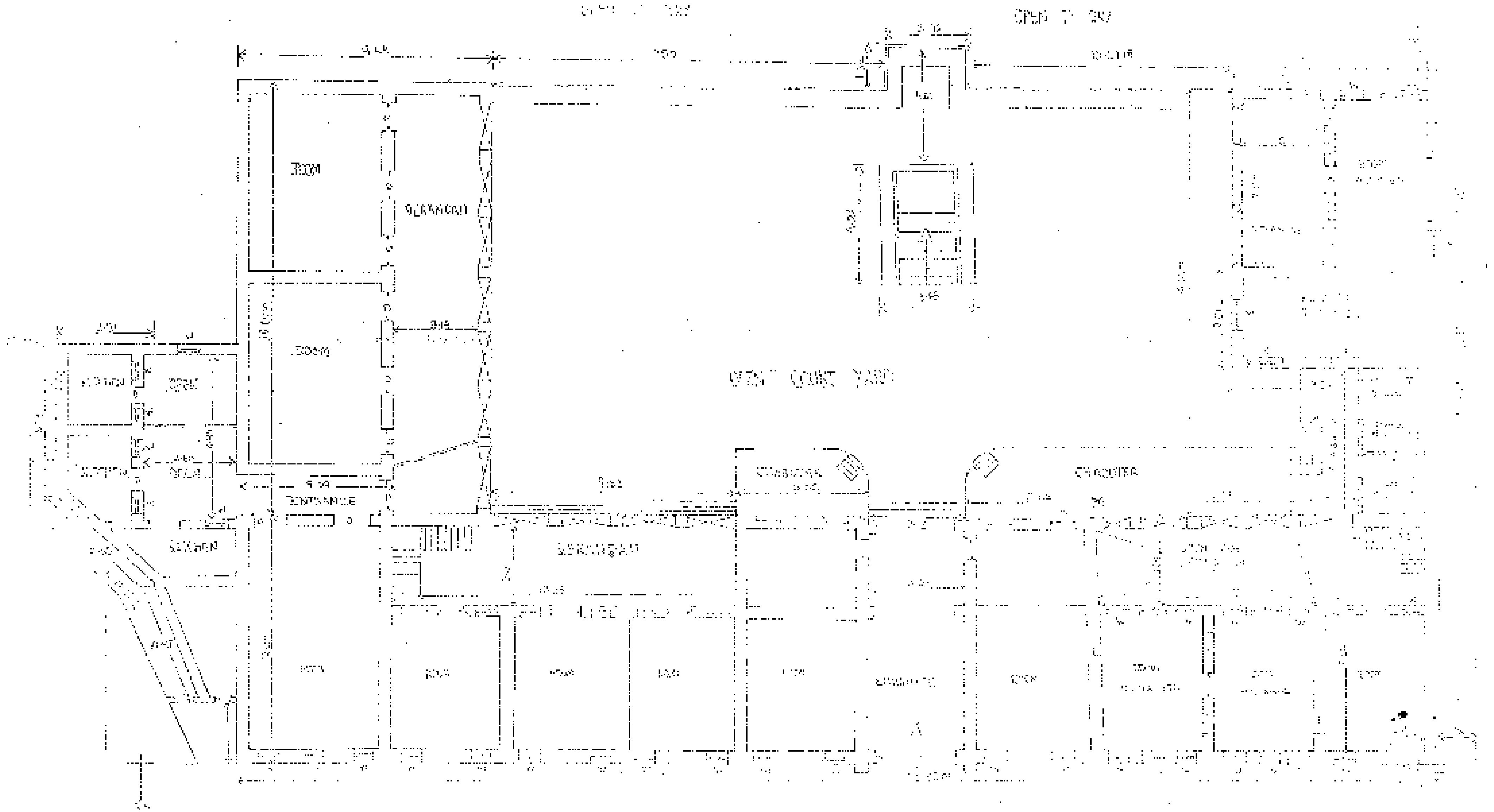
OPEN TO SKY
ROOM
VERANDAH
ROOM
ENTRANCE
KITCHEN
OPEN COURT YARD
STAIRCASE
VERANDAH